दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

<u>निर्णय की तिथि : 12 अक्टूबर, 2021</u>

<u>फौ. पु. या. 329 / 2021</u>

प्रियांशु कुमार ....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री एम.पी. सिन्हा, अधिवक्ता |

बनाम

राज्य ....प्रत्यर्थी(गण)

द्वारा: श्री अमित गुप्ता, राज्य के अति.लो.अभि. सह उप.नि. अनिल कुमार, थाना रनहोला |

कोरम:

माननीय न्यायाधीश सुश्री मुक्ता गुप्ता

<u>निर्णय</u> : (मौखिक)

सुनवाई न्यायालय कक्ष में की गई है ।

<u>फौ. वि. आ. 16535/2021 (छूट)</u>

1. सभी न्यायसंगत अपवादों के अध्यधीन छूट प्रदान की जाती है ।

2. आवेदन का निपटान किया जाता है ।

फौ. पु. या. 329 / 2021

1. इस याचिका द्वारा, याचिकाकर्ता ने विद्वान अति.सत्र.न्या. द्वारा दिनांक 18 सितंबर, 2021 को पारित आदेश को चुनौती दी है जिसमें याचिकाकर्ता के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 364क के तहत दंडनीय अपराधों हेतु आरोप की विरचना का निर्देश दिया गया था ।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याचिकाकर्ता के पीड़ित परिवार के साथ बहुत अच्छे संबंध थे और आमतौर पर वह शिशु को अपने साथ खेलने के लिए ले जाता था । पैसे की मांग, यहां तक कि व्हाट्सऐप चैट के

अनुसार भी पीड़ित से संबंधित नहीं है और यहां तक कि कथित मांगों में भी, याचिकाकर्ता ने बार-बार कहा कि वह शिशु को भेज देगा । इस प्रकार, मांगी गई राशि को फिरौती नहीं माना जा सकता है और इसके अतिरिक्त, शिशु की मृत्यु या उपहति की कोई आशंका नहीं थी, इसलिए भा.दं.सं. की धारा 364क के तहत मामला नहीं बनता है और इसलिए भा.दं.सं. की धारा 364क के तहत दंडनीय अपराध हेतु कोई आरोप विरचित नहीं किया जा सकता ।

3. उपरोक्त प्राथमिकी, 7 महीने की आयु के पीड़ित शिशु कार्तिक कौशिक की मां की शिकायत पर दर्ज की गई थी । उसने कहा कि उनके पास दूसरी मंजिल पर सुरेश कुमार नाम का एक किरायेदार था, जो अपने बेटे प्रियांशु कुमार, बेटी भावना, बड़े बेटे रवीश और बड़े बेटे की पत्नी पूजा के साथ

रह रहा था । प्रियांशु हर रोज शिशु के साथ खेलने के लिए उसकी पहली मंजिल पर आया करता था और उसे दूसरी मंजिल पर और छत पर भी ले जाता था । इसलिए, उनके संबंध काफी मैत्रीपूर्ण हो गए थे । दिनांक 9 अप्रैल, 2021 को सुबह लगभग 10:50 बजे, प्रियांशु कुमार उनकी मंजिल पर आया और शिकायतकर्ता से नाबालिग शिशु कार्तिक के बारे में पूछा, जिसके उत्तर में उसने कहा कि वह सो रहा था । प्रियांशु कुमार, फिर से सुबह 11:00 बजे वापस आया । उस समय तक भी नाबालिग शिशु सो रहा था, इसलिए वह चला गया और दोपहर 12:00 बजे फिर आया । उसने कहा कि चूंकि आज उसकी छुट्टी है, जब भी कार्तिक उठेगा, तो वह उसके साथ खेलेगा । जब कार्तिक उठा, तो प्रियांशु कुमार उसे अपनी मंजिल पर ले गया और शिकायतकर्ता नहाने चली गई

। कुछ समय बाद, प्रियांशु की बहन भागती हुई आई और कार्तिक के बारे में पूछा , जिस पर शिकायतकर्ता ने कहा कि कार्तिक प्रियांशु कुमार के साथ था । बहन ने प्रियांशु और कार्तिक की तलाश की लेकिन वह नहीं मिले । शिकायतकर्ता ने प्रियांशु का नंबर माँगा और फिर एक फोन किया । हालांकि, याचिकाकर्ता ने फोन नहीं उठाया । उसने उसे मैसेज भेजा पर उसने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया । इसके बाद उसे याचिकाकर्ता से पैसे की मांग के मैसेज मिले । उसने अपने पति को फोन किया जिसका फोन उसके देवर के पास था और उसे बताया कि प्रियांशु कुमार कार्तिक को ले गया है और पैसे की मांग कर रहा है । इस प्रकार, प्रश्नगत प्राथमिकी पंजीकृत हुई ।

4. शिकायतकर्ता के बयान के अलावा, अभियोजन पक्ष ने, शिकायतकर्ता और याचिकाकर्ता के बीच भेजे गए मैसेजों पर भी भरोसा जताया है, जिसमें वह बार-बार अपने एचडीएफसी खाते में रु. 40 लाख की मांग कर रहा है और उसके बाद यह भी कहा है कि उनके पास जो कुछ भी है, उसे भेज दें और उसके बाद ही वह शिशु को भेजेगा । उसने स्पष्ट किया कि उसकी शिशु से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन वह पैसे मिलने के बाद ही उसे भेजेगा । यह कहा गया था कि "*मेरी इससे कोई दुश्मनी नहीं बस पैसे चाहिए मेरे को आप न दोगे तो मलिक को भेन (?) दूंगा*" | अपनी चैट में याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि चाहे वे ऋण लें या जो कुछ भी करे, उसे पैसे चाहिए । उसने आगे कहा कि उन्हें पैसे बचाने होंगे, वह नहीं आएगा लेकिन शिशु को टैक्सी में भेज देगा । उसने आगे कहा

"*अतः विलंब न करें कृपया, शिशु संकट में है*" | उसके अनुसार, शिकायतकर्ता का पति या तो ऋण ले अथवा उसके पिता या उसके भाई से ले लेकिन उसको पैसे चाहिए । उसने आगे कहा " *कितना इंतज़ार बोलो* " " *इतना रो रहा है यह* " " *कुछ हो गया तो* " " *कई लाख चाहिये* " " *10 से कम नहीं तो कल ही देख पाओगे इसको* " " *मैं इंजीनियर हूं आप जानते हो मेरे को* " । शिकायतकर्ता के पति के यह कहने पर कि उसे कुछ और समय चाहिए, याचिकाकर्ता ने पूछा कि कितना समय और कहा " *मुझे क्यूँ परेशान कर रहे हो, रो रहा है, फेंकने का मन हो रहा है* " | चैट से यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता के पति का यह कहना कि उसके पास उस समय पूरा पैसा नहीं था और उसे शिशु के साथ कुछ नहीं

करना चाहिए, अपीलकर्ता ने कहा कि क्यूंकि शिशु रो रहा था, वह बच्चे को फेंकना चाहता था ।

5. याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ताओं के बीच व्हाट्सऐप चैट पर हुई बातचीत न केवल उस तरीके को दर्शाती है जिससे शिशु को चोट पहुंचाई गई थी, बल्कि शिशु की सुरक्षा के संबंध में शिकायतकर्ताओं के मन में एक आशंका पैदा करने के लिए भी पर्याप्त है, भले ही याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि वह शिशु को कुछ नहीं करेगा लेकिन वह अपने जीवन से निराश था । उसने आगे कहा कि उसे पुलिस की धमकी न दें, क्योंकि वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है; वे उसे पकड़ने में सफल नहीं हो पाएंगे ।

6. भा.दं.सं. की धारा 364क इस प्रकार हैः

फिरौती के लिए अपहरणः

" जो कोई इसलिए किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करेगा या ऐसे व्यपहरण या अपहरण के पश्चात् ऐसे व्यक्ति को निरोध में रखेगा और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु या उसकी उपहति कारित करने की धमकी देगा या अपने आचरण से ऐसी युक्तियुक्त आशंका पैदा करेगा कि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है या उसको उपहति की जा सकती है या ऐसे व्यक्ति को उपहति या उसकी मृत्यु कारित करेगा जिससे कि सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को किसी कार्य करने या करने से प्रवृत रहने के लिए या फिरौती देने के लिए विवश किया जाए, वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जायेगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा "

7. इस प्रकार भारतीय दंड संहिता की धारा 364क के अधीन दंडनीय अपराध के लिए तीन मुख्य घटक अपहरण, फिरौती की मांग और अपहरण किए गए ऐसे व्यक्ति की मृत्यु या उपहति पहुंचाने की धमकी या आचरण द्वारा युक्तियुक्त आशंका पैदा करना कि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु या उपहति हो सकती है ।

8. आगे 'उपहति' को भा.दं.सं. की धारा 319 के तहत परिभाषित किया गया है । इसमें उल्लिखित है कि जो कोई भी किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग-शैथिल्य कारित करता है, वह उपहति करता है । निस्संदेह जब एक शिशु को निरोध में रखा जाता है और वह रोता है तो यह सामान्य परिस्थिति के प्रतिकूल होता है, जिससे शिशु को शारीरिक पीड़ा होती है और इस तरह भा.दं.सं. की धारा 319 के अंतर्गत परिभाषित 'उपहति' के अपराध के घटक पूर्ण हो जाते हैं ।

9. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रतिवाद करते हैं कि चूंकि शिशु को कोई उपहति नहीं पहुंचाई गई थी और न ही उपहति की कोई आशंका थी, इसलिए भा.दं.सं. की धारा 364क के आवश्यक घटक पूर्ण नहीं होते हैं । याचिकाकर्ता के

विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क अस्वीकार किए जाने योग्य है । शिशु को तब तक 'अपहृत' के रूप में रखा गया था जब तक फिरौती की मांग पूरी नहीं हुई । यहां तक कि याचिकाकर्ता के विरोधाभासी संस्करणों जिसमें कहा गया कि वह शिशु को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, उसने यह भी कहा कि वह बच्चे को फेंकना चाहता था क्योंकि वह रो रहा था । क्योंकि शिशु बुरी हालत में था, रो रहा था, शिशु 7 महीने का था, जो मां के बिना नहीं रह सकता था, यह स्पष्ट है कि बच्चे को शारीरिक पीड़ा यानी उपहति पहुंचाई गई थी । इसके अतिरिक्त शिशु को फेंकने के मैसेज सहित याचिकाकर्ता द्वारा भेजे गए मैसेजों से, माता-पिता के मन में एक स्पष्ट आशंका थी कि शिशु को मृत्यु या उपहति पहुंचाई जा सकती है ।

10. इसलिए, इस न्यायालय को याचिकाकर्ता के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 364क के तहत आरोप विरचित करने वाले विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित किये गए आक्षेपित आदेश में कोई त्रुटि नहीं मिलती है ।

11. याचिका खारिज की जाती है ।

12. इस न्यायालय की वेबसाइट पर आदेश अपलोड किया जाए ।

(मुक्ता गुप्ता)
न्यायाधीश

12 अक्टूबर, 2021

(**Translation has been done through AI Tool : SUVAS**)
अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा | समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी|